तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
4/2/22	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 28/2/22 को पेश हो ।
28/02/22	पत्रावली आज पेश हुई वकील वादीगण उपस्थित। बहस अभी नहीं करना चाहते बहस दिनांक 21/03/22 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर SDO (गुडामालानी
21/3/22	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 16/5/22 को पेश हो ।
16/05/22	पत्रावली आज पेश हुई वकील वादी उपस्थित। वकील वादी से बहस सुनी गयी। बहस सुनकर से निर्णय जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलेक्टर, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:03:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी जिला – बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 29 / 2018

वादी

1. वीराराम पुत्र नाथाराम
   जाति कलबी निवासी भोलागर नगर, लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रणछाराम पुत्र सोनाराम
2. बगाराम पुत्र अमराराम
3. कोजाराम पुत्र धनाराम
4. भरत पुत्र धनाराम
5. मूलाराम पुत्र धनाराम
   जाति गर्ग निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
6. छोगाराम पुत्र मताराम
7. सांवलाराम पुत्र मताराम
   जाति रबारी निवासी लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
8. मेहराराम पुत्र गरदाराम जाति मेगवाल निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी
9. भूमिपति तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :

1. **श्री गंगाराम चौधरी अधिवक्ता वादी**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 16/05/22

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी का खेत मौजा भोलागर नगर पटवार क्षेत्र लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी में खसरा संख्या 261 रकबा 36–13 बीघा का अवस्थित है, जिस पर वादी का आज दिन तक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमानि में जमीनों की कीमतों में अचानक अप्रत्यक्ष रूप से आई बढोतरी से प्रतिवादीगण की नीयत में बदलाव आ गया है तथा प्रतिवादीगण वादी की भूमि को हडपने की नीयत से वादी की उक्त आराजी का जबरन सेढा तोडकर प्रतिवादीगण सभी एक राय जबरन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों का निर्माण वादी की खातेदारी में कर[illegible]। इस स्थिति में वादी की उक्त आराजी की [illegible] प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:03:21 IST
Reason: SelfAttested

वाद वादी दिनांक 09.04.20[illegible] को दर्ज कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध सम्मन जारी किये गये। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी के वाद पत्र सम्बन्ध में भूमिपति तहसीलदार गुड़ामालानी से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट कमांक

03 दिनांक 05.06.2018 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि वादी की खातेदारी खसरा नम्बर 361 रकबा 36–13 बीघा की भूमि ग्राम लूणवा जागीर की आवादी भूमि खसरा नम्बर 359, 360, 436 के पास आई हुई है। इसलिये प्रतिवादीगण रणछाराम, बगाराम, कोजाराम, भरत, मूलाराम, छोगाराम, सावलाराम, मेहराराम की रहवासी ढाणियां बनी हुई है जो कि पुराने समय से आबाद हैं। उक्त ढायीयों में कच्चे/पक्के मकान बने हुए हैं। उक्त ढाणियों में इनका निवास लम्बे समय से है।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड अनुसार वादी वादग्रस्त आराजी मौजा भोलागर नगर पटवार क्षेत्र लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी में खसरा संख्या 261 रकबा 36–13 बीघा वादी की खातेदारी में दर्ज है, परन्तु तहसीलदार गुड़ामालानी की रिर्पोट अनुसार उक्त भूमि ग्राम लूणवा जागीर की आवासी भूमि से सटी होने से प्रतिवादीगण के कच्चे–पक्के आबास लम्बे समय से बने हुए हैं, जिसके लिये वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतन्त्र है। वादी द्वारा उक्त वाद पत्र उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष चाहा गया है। चूंकि वादी की विवादित भूमि आबादी भूमि के नजदीक होने से प्रतिवादीगण का लम्बे समय से कच्चे–पक्के आबास बनाकर निवास है ऐसी स्थिति में विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/5/22 को मजमेआम खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुड़ामालानी

सहायक कलेक्टर गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:03:21 IST
Reason: SelfAttested